

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश : जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक 402 / स्था.सैट / 2021

जबलपुर, दिनांक 27/08/21

श्री नीरज सर्वटे, निजी सहायक, निवर्तमान सैट खण्डपीठ इंदौर को रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 747 / नि.म.प्र.प्र.अ. / 2007 जबलपुर दिनांक 25.10.2007 द्वारा स्वीकृत द्वि-भाषीय भत्ता उनके आवेदन पत्र दिनांक 02.08.2021 को स्वीकार करते हुये दिनांक 02.08.2021 से द्वि-भाषी भत्ते का भुगतान एतद् द्वारा बन्द किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय,
के आदेशानुसार

Sd-

(राजेन्द्र कुमार वाणी)

रजिस्ट्रार जनरल

जबलपुर, दिनांक 27/08/21

पृ0क्रमांक 403 / स्था.सैट / 2021

प्रतिलिपि:-

01. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ-इंदौर को उनके पत्र क्रमांक प्रशा./169-ए/1548 इंदौर दिनांक 04.08.2021 के संबंध में
 02. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (आई.टी.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को इस अनुरोध के साथ कि आदेश उच्च न्यायालय की वेबसाईट में अपलोड कराने हेतु।
 03. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
 04. विशेषकर्तव्यकारी (लेखा) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) जबलपुर।
 05. कोषालय अधिकारी इंदौर
 06. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (स्थापना) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
 07. सहायक स्थापना/लेखा उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (निवर्तमान सैट) जबलपुर/इंदौर
 08. श्री नीरज सर्वटे, निजी सहायक उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (निवर्तमान सैट) खण्डपीठ-इंदौर
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

(प्रियदर्शन कुमार)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)